न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 135 / 2023
जीसीएमएस नम्बर 2023 / 275

निर्णय दिनांक 11.9.2024

ज्यानी देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीनी—

बनाम

1. हड़मानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ 3. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ राजस्थान।

उपस्थितिः—

—प्रतिवादीगण—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से।
4. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 03

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है, वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 के रिश्ते में मौसी लगती है जिनका रहन—सहन, खान—पान एव चूल्हा चौकी एवं रहन—सहन अलग अलग है। वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के सयुक्त खोतेदारी के खेत खसरा नम्बर 387 रकबा 8.4700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 409 रकबा 0.3800 हैक्टेयर रोही मौजा डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है जिसमें वादीनी का मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/2 हिस्सा दर्ज है। मुताबिक मौखिक पारिवारीक विभाजन के अनुसार वादगत रकबा खसरा नम्बर 409 रकबा 0.3800 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 387 रकबा 8.4700 हैक्टेयर में दक्षिणी तरफ की 4.045 हैक्टेयर पर वादीनी का कब्जा काश्त शुरू से ही लेकर आज दिनांक तक चला आ रहा है मुताबिक पारिवारीक मौखिक विभाजन एवं कब्जा काश्त के आधार पर वादीनी मिट्स एण्ड बाउण्ड अपने हिस्से की भूमि विभाजित करवाकर नक्शा तरमीम करवाने की अधिकारीणी है। वादीनी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि पर सीमांकन के रूप में तारपट्टिया करके सीमा कायम कर रखी है, एवं लाखो रूपये खर्च कर खाद आदि डालकर उपजाऊ बना रखी है । एवं इसी भूमि की उपज से वादीनी एवं वादीनी के परिवार का पालन—पोषण चलता है। वादीनी को अपने हिस्से की भूमि पर अन्य कृषि विकास कार्य करवाने हेतु बैंक से ऋण लेने के लिए आवश्यकता हुई तो वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से तहसील कार्यालय चलकर विधिवत रूप से सहमति से वादगत भूमि मुताबिक कब्जा पारिवारीक विभाजन के अलग—अलग करवाने का निवेदन किया तो काश्त एवं प्रतिवादी संख्या 1 आजकल आजकल कहते हुए टालमटोल करता रहा एवं दिनांक 15.09.2023 को खाता विभाजन से स्पष्ट इनकार करते हुऐ धमकि दी कि मै तो मेरे हिस्से के रूप मे तुम्हारी सुधार कार्य कर उपजाऊ बनाई भूमि को अच्छी किमत मे विक्रय करूंगा यही बिनाय दावा बिनाय मुखासमत वादीनी प्रतिवादी के विरूद्ध हासिल है। वादीनी का ससुराल मे सावा के हिसाब से शादी के समय ज्ञानी देवी नाम शादी की पत्रिका मे दर्ज करवा दिया एवं उसी नाम से ससुराल में वादीनी को पचानने लगे। जबकि वादीनी का सही नाम ज्यानीदेवी पत्नी भगवानाराम है, एवं यही नाम वादीनी के समस्त सरकारी अर्दसरकारी दस्तावेजो में दर्ज चला आ रहा है एवं इसी आधार पर वादीनी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम ज्ञानी देवी के स्थान पर ज्यानी देवी दर्ज करवाने की अधिकारीणी है। प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बैंक मे रहन होने के कारण पंजाब नेशनल बैंक को पक्षकार सयोजित किया गया है, बैंक से कोई अलग से अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी स्टेट है लेकिन यहां स्टेट से यहां किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिये आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी बनाया गया है। कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुये स्टेट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान्जी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा ग्राम डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ की कृषि भूमि का होने के कारण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है। दावा पूर्ण कोर्टफीस पर अन्दरमियाद प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीनी खिलाफ प्रतिवादी निम्न अनुतोष कि डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावें:—

(क) कि पारिवारीक मौखिक विभाजन के अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 409 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 387 मे दक्षिणी तरफ 4.045 हैक्टेयर वादीनी के नाम से विभाजित किया जाकर उसी अनुसार नक्शा तरमीम कर लगान जुदा कायम किया जावे ।

(ख) कि वादीनी का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नांम ज्ञानी देवी के स्थान पर रिकार्ड दुरूस्ती के जरिये सही नाम ज्यानी देवी दर्ज किया जावे।

(ग) कि अन्य अनुतोष हितकर वादीनी हो प्रदान करें ।

(ड) कि खर्चा मुकदमा वादीनी को प्रतिवादी से दिलवाया जावें ।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा एवं राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 03 को बार बार आवाजे लगवाई गई परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आया। लिहाजा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा एवं स्टेट द्वारा वादी वाद को स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 409 तादादी 0.3800 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 387 तादादी 8.4700 हैक्टेयर रोही डेलवां का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:—

क्र.स.	वर्तमान खातेदार	प्रस्तावित खातेदार	ख.न.	रकबा
01	ज्ञानीदेवी पत्नी भगवानाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	ज्ञानीदेवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	409 387 मी दक्षिणी किता 2	0.3800 4.0450 4.4250
02	हडमानाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पीएनबी शाखा श्रीडूंगरगढ मूर्तहीन ख.न. 387 ता. 8.4700 है. ख.न. 409 ता. 0.3800 है. **किता 2 8.8500 है.**	हडमानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पीएनबी शाखा श्रीडूंगरगढ मूर्तहीन	387 मी उतरी	4.4250

वादीनी का नाम ज्ञानीदेवी पत्नी भगवानाराम के स्थान पर शुद्ध नाम ज्यानी देवी पत्नी भगवानाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन के साथ प्रस्तुत नक्शा अनुसार तरमीम कर वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर पालना किया जाना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.9.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

ज्यानी देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादीनी—

बनाम

1. हड़मानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ 3. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ राजस्थान।
—प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 135/2023
दावा बाबतः विभाजन व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 11.9.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से, एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 03 व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 409 तादादी 0.3800 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 387 तादादी 8.4700 हैक्टेयर रोही डेलवां का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:—

क्र.स.	वर्तमान खातेदार	प्रस्तावित खातेदार	ख.न.	रकबा
01	ज्ञानीदेवी पत्नी भगवानाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	ज्ञानीदेवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	409 387 मी दक्षिणी	0.3800 4.0450
			किता 2	4.4250
02	हडमानाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पीएनबी शाखा श्रीडूंगरगढ मूर्तहीन ख.न. 387 ता. 8.4700 है. ख.न. 409 ता. 0.3800 है. किता 2 8.8500 है.	हडमानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पीएनबी शाखा श्रीडूंगरगढ मूर्तहीन	387 मी उतरी	4.4250

वादीनी का नाम ज्ञानीदेवी पत्नी भगवानाराम के स्थान पर शुद्ध नाम ज्यानी देवी पत्नी भगवानाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन के साथ प्रस्तुत नक्शा अनुसार तरमीम कर वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर पालना किया जाना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....ख़र्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक ११ माह ०९ सन् 2024 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:56:03 IST
Reason: SelfAttested